न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 223/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– रूगनाथराम पुत्र लुम्बाराम 2– मोहनी पत्नी नारायणराम 3– महिपाल पुत्र नारायणराम 4– राजाराम पुत्र नारायणराम 5– श्रवणराम पुत्र नारायणराम 6– मानाराम पुत्र धुडाराम 7– गेनाराम पुत्र साजनराम 8– सहीराम पुत्र रणजीताराम 9– मोहनराम पुत्र रणजीताराम 10–गणपतराम पुत्र रणजीताराम 11–बाधू पत्नी रणजीताराम 12–बगडावतराम पुत्र खीयाराम 13–रामुराम पुत्र कानाराम 14–गोपीराम पुत्र कानाराम 15–हजारीराम पुत्र कानाराम 16–समदी पत्नी सुखराम 17–डिम्पल पुत्री सुखराम 18–पिन्टु पुत्र सुखराम अपीलांट संख्या 17 व 18 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता समदी पत्नी सुखराम 20–सुगनी पत्नी कानाराम 21–सोहनी पुत्री कानाराम 22–बलवंताराम पुत्र प्रहलादराम 23–परमी पुत्री प्रहलादराम 24–मोहनी पुत्री प्रहलादराम 25–मनीषकुमार पुत्र पूनाराम 26–कैलाश पुत्र पूनाराम 27–किसनाराम पुत्र नरसिंगाराम 28–गंगादेवी पत्नी नरसिंगाराम 29–रामेश्वरलाल उर्फ रामरखराम पुत्र मानाराम 30–मनोहरलाल पुत्र मानाराम 31–मोहनी पुत्री मानाराम 32–रोशनी पुत्री मानाराम सभी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम सिंगडसर, तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1– लाधुराम पुत्र रामचन्द्रराम 2– भगवानाराम पुत्र रामचन्द्रराम 3– मूलाराम पुत्र खीयाराम 4– सुखराम पुत्र बरसिंगाराम 5– श्रवणकुमार पुत्र बरसिंगाराम 6– पांचाराम पुत्र बरसिंगाराम 7– सजना पत्नी भन्नाराम 8– बिरबलराम पुत्र मालाराम 9– जोधाराम पुत्र फगलुराम 10–सुखराम पुत्र भागचंदराम 11–जगदीश पुत्र भागचंदराम 12–गोतम पुत्र भागचंदराम 13–धाई पत्नी भागचंदराम 14–भंवरलाल पुत्र भानाराम सभी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम सिंगडसर तहसील लोहावट जिला जोधपुर 15–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27–6–2017 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2004 मे राजस्व अभियान केम्प लोहावट विशनावास मे पारित किया गया ।

अति॰ सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार, पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री एल.एल.शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1,2, 4 से 9 व 14 की ओर से ।
3– श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 से 13 की ओर से ।
4– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 14 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 21–6–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो० संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम लोहावट विशनावास वर्तमान राजस्व ग्राम सिंगडसर के खसरा नंबर 1828 रकबा 309 बीघा 04 बिस्वा स्थित है, जिसका पर्चा लगान वक्त सेटलमेंट खीयां, नरींगा, फगलू पिता बना, लादू पुत्र रामचन्द्र 1/3 हिस्सा, रूगनाथ वल्द लुम्बा 1/3 हिस्सा तथा काना वल्द सम्भू 1/3 हिस्सा का था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि खातेदार कानाराम पुत्र शम्भुराम तथा रघुनाथ पुत्र लुम्बा ने अपना सम्पूर्ण 2/3 हिस्सा दिनांक 6–11–1957 को जरिये बेचाननामा प्राथीगण तथा खींया, नरींगा, फगलु पुत्र बना तथा माना वल्द सुरजन को बेचान कर दिया था तथा इस बेचान के आधार पर नामांतरकरण संख्या 262 स्वीकृत किया गया लेकिन उक्त बेचान की गई भूमि का इन्दाज जमाबंदी मे नही किये जाने से विक्रेतागण के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज यथावत रह गया इसलिए जमाबंदी मे उनका नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरस्त करने तथा विक्रेता का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–17 के द्वारा स्वीकार करते हुए ग्राम सिंगडसर तहसील लोहावट स्थित खसरा नंबर 1828 रकबा 309 बीघा 04 बिस्वा भूमि मे दर्ज भागचंद पुत्र भरमल, कानाराम पुत्र शम्भूराम, मानाराम पुत्र धुडाराम, रूगनाथ पुत्र लुम्बाराम, गेनाराम पुत्र साजनराम नामो की प्रविष्टियों को हटाने व प्रार्थी संख्या 1 का 7/18 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 4/18 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 17 का 5/18 हिस्सा एवं इनके कायम मुकाम, अप्रार्थी संख्या 22 का 2/18 हिस्सा एवं इनके का.मुकाम दर्ज करने के आदेश पारित करते हुए तहसीलदार लोहावट को तदनुसार अमल दरामद करने के आदेश पारित कर दिये । जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि हमारी ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय मे बहस मे चल रही थी परंतु पत्रावली को राजस्व लोक अदालत केम्प लोहावट विशनावास मे ले जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली को केम्प मे रखने का हमे कोई नोटिस या सूचना नही दी गई इसलिए हमे पत्रावली को केम्प मे रखने की जानकारी नही हो सकी । केम्प मे

केवल प्रार्थी एवं तहसीलदार ही हाजिर थे परंतु अपीलाधीन निर्णय मे उभयपक्ष की बहस का उल्लेख किया जाकर निर्णय पारित किया गया है जबकि हम केम्प मे उपस्थित ही नही थे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक तरफा होने से अपीलाधीन निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के प्रार्थना पत्र पर जिस प्रकार का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, ऐसा आदेश धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे पारित किया ही नही जा सकता है तथा कथन किया कि धारा 136 भू राजस्व अधिनिम के प्रार्थना पत्र मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरस्त किया जाने का प्रावधान है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बेचान दस्तावेज की फाईंडिंग देते हुए, राजस्व रेकर्ड मे दर्ज खातेदारान का नाम हटाने एवं अपीलाधीन भूमि मे खातेदारान का हिस्सा खोलते हुए तद्नुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने बाबत जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे एक मूल राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी मे ही विचाराधीन है जिसमे अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण सभी पक्षकार है इसलिए जब अधीनस्थ न्यायालय मे ही अपीलाधीन भूमि के संबंध मे नियमित वाद विचाराधीन था जिसके द्वारा ही पक्षकारो के अधिकारो का निर्धारिण होना था तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए, पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को केम्प मे ले जाकर एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 अपने पक्ष मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे वर्ष 1957 का बेचान होना तथा उक्त बेचान रूगनाथराम पुत्र लुम्बाराम तथा कानाराम पुत्र शम्भुराम द्वारा किया जाना बता रहा है परंतु वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट रूगनाथराम पुत्र लुम्बाराम का जन्म ही वर्ष 1951 का है इस प्रकार अपीलांट तत्समय नाबालिग था तथा नाबालिग द्वारा वर्ष 1957 मे किये गये बेचान के आधार पर रेस्पो. को कोई अधिकार हासिल नही हो सकते परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तमाम कानूनी प्रावधानो पर गौर किये बिना तथा वर्तमान अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर. आर.टी. 2011 (2) पेज 1264 तथा 2010 (1) आर.आर.टी. पेज 310 की निर्णय नजीरे प्रस्तुत करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे निरस्त करनेका निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1, 2, 4 से 9 एवं 14 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट की बहस का खण्डन करते हुए अपीलाधीन निर्णय के पेज 3 का अंतिम पैरा पढकर

सुनाया जिसमे अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर अप्रार्थी संख्या 22, 24 व 26 की ओर से अधिवक्ता श्री हीराराम विश्नोई ने वकालातनामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश किया था तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 9, 10 ता 21, 23 व 25 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए थे तथा उनकी ओर से कोइ उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई थी । रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय के पेज 4 के अंतिम पैरा मे उल्लेख अनुसार कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को सुनकर, रेकर्ड तथा बेचाननामे का अवलोकन कर क्रेतागण का नाम दर्ज नही होने से क्रेतागण का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है इसीप्रकार गलत दर्ज रकबे को सही दर्ज करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 10 से 13 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को सही बताते हुए कथन किया कि अपीलांटगण ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान वर्ष 1957 मे ही कर दिया था तथा बेचान के साथ ही अपीलांट के अधिकार उक्त भूमि से समाप्त हो चुके थे इसलिए अपीलांट को यह अपील पेश करने का अधिकार ही नही है ।

रेस्पो0 संख्या 10 से 13 की ओर से अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा बेचान की गई भूमि का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे नही होने से रेकर्ड दुरस्ती करवाने तथा क्रेतागण का नाम व हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय के कम मे कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन भूमि के हक अधिकारो की घोषणा का वाद विचाराधीन था तथा उस वाद के निर्णय से ही पक्षकारो के हक अधिकारो का निर्धारण होना था तो अधीनस्थ न्यायालय को धारा 136 के प्रार्थना पत्र पर इस प्रकार का निर्णय पारित नही किया जाना चाहिये था । राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरस्त करने का प्रावधान है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रेकर्ड मे दर्ज खातेदारो के नाम को हटाने तथा नये खातेदारो के हिस्से खोलते हुए तद्नुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती करने के आदेश पारित किये है, जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे चाही गई इस्तदुआ एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरों आदि का भी अध्ययन किया,

इसके अलावा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का भी अध्ययन किया, जो इस प्रकार है– Sec. 136 – Correction of errors—The Land Records Officer may, at any time, correct or causeto be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any register:

Provided that when any error is noticed by any Revenue Officer in any record of right during the course of his inspection, no erro shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

उक्त धारा 136 के प्रावधानो के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय का अध्ययन करने पर यह प्रकट है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जिस तरह की इस्तदुआ चाही गई थी, हु–ब–हु प्रार्थना पत्र की इस्तदुआ के अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय नियमित वाद के निर्णय के माफिक पारित कर दिया जबकि धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरस्त करने संबंधी आदेश पारित किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्ही पक्षकारो के बीच एक नियमित वाद अपीलाधीन भूमि के संबंध मे विचाराधीन है, तो उक्त वाद के निर्णय से ही पक्षकारो के हक अधिकारो का बेहतर निर्धारण होना है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय को धारा 136 के प्रार्थना पत्र मे ऐसा अपीलाधीन आदेश पारित नही किया जाना चाहिये था जैसाकि वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीर आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 310 की निर्णय नजीर मे ऐसा ही अभिनिर्धारित किया है।

वर्तमान मामले मे रेस्पो0 संख्या 10 से 13 की ओर से अधिवक्ता का यह कथन कि अपीलांटगण ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान वर्ष 1957 मे ही कर दिया था इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार ही नही है, जिसके जवाब मे अपीलांटगण का यह कथन है कि उनके द्वारा ऐसा कोई बेचान किया ही नही गया था न ही कब्जा सुपुर्द किया था । इस संबंध मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय मे फार्म नंबर 3 के सलंग्न न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 6/2009 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर रखा है, की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमे वर्तमान अपीलांटगण व रेस्पो0गण को पक्षकार बनाया हुआ है तथा उक्त राजस्व वाद मे अपीलाधीन भूमि

के संबंध मे दिनांक 6–11–1957 को निष्पादित विक्रय पत्र को प्रभावहीन घोषित करवाने की इस्तदुआ भी शामिल है, इसलिए अपीलाधीन भूमि का बेचान किया गया या नही, किसके द्वारा किया गया, यदि किया भी गया तो क्या वह किया जा सकता था तथा अपीलाधीन भूमि का कब्जा किसके पास है, आदि तमाम बिन्दु नियमित वाद की कार्यवाही के तहत गवाहान के बयान एवं साक्ष्य–सबूतो के आधार पर पारित होने वाले निर्णय से ही तय होना है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2017 विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21–6–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर